

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**

RJD

Ph. No/Fax No- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक- 133 /24 एल0ए0
सेवा में,

दिनांक-18-01-2022

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.768 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि का गैर वानिकी हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 540/X-4-16/1(164)/2016 दिनांक 13.जून.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषय वर्णित मोटर मार्ग हेतु संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 540/X-4-16/1(164)/2016 दिनांक 13.जून.2016के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वार दी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है।

विन्दु सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले में 5.536 हे0 सिविल भूमि सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने यथासंशोधित) जमा की जायेगी उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले में 5.536 हे0 सिविल भूमि सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु वर्तमान दरों पर रु0 14,024,46.00 (चौदह लाख दो हजार चार सौ साठ) की धनराशि 12.10.2017 द्वारा ऑन-लाईन के माध्यम से जमा की जा चुकी है। तथा उक्त सिविल का वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है। संलग्न अमलदरामद की प्रति एवं चालान की छाया प्रति। न0
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रु0 20,71,872.00 (बीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ बहत्तर) की धनराशि दिनांक 12. 10.2017 द्वारा ऑन-लाईन चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।

0/0

3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रु0 18,18,576.00 (अठ्ठारह लाख अठ्ठारह हजार पांच सौ छितहत्तर) की धनराशि ऑन-लाईन के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की चुकी है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रमाण संलग्न 3न0
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आक्कलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन प्रकिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्युटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा। जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलगकों सहित ऑन लाईन अपलोड कर करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन-लाईन/हार्ड कापी प्रेषित किया जायेगा।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आक्कलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन सत्यापित के उपरान्त ऑन-लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। संलग्न प्रमाण पत्र न0।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की दशा में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	निर्धारित शर्त का अनुपालन मान्य है।
8	प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम-2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/ प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न ।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति	उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 8 तक

RKC संलग्न-चार-चार प्रतिमा 1

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

ole

जनपद चमोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.768 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 5.536 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप जिलाधिकारी चमोली की शत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.768 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम घुड़साल प०वृ० सैकोट तहसील चमोली की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-51 के खसरा सं०-1830 रकबा 1.796 है०, खसरा सं०-2176 रकबा 0.628 है०, खसरा सं०-2183 रकबा 1.620 है०, खसरा सं०-2197 रकबा 1.492 है० अर्थात् कुल 5.536 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

LAC/Amrin
Copy to AE
Copy to Self

15-12-16

G C

(विनोद कुमार सुमन),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 1094/छब्बीस-10 (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक: 10 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर।

क्रम सं० 5056
पत्रावली सं० 23.6.16
दिनांक 17-12-16

08/12/16

जिलाधिकारी,
चमोली।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.

GOPESHWAR

भाँका / नकल खसरा : फसली वर्ष :
 गाँवा दुडसावा पटवारी क्षेत्र सैकोट तहसील चमोली व जिला चमोली ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1830	1796	51	चदरा														चदरा	1796
2176	0628	51	उ. आ.														चदरा	0628
2183	1620	51	उ. आ.														चदरा	1620
2197	1521	51	उ. आ.														चदरा	1521
ग्रामादि आवा जात व कि उपरोक्त नकल खसरा अमल के लिए आवा जात है।																		

EXECUTIVE ENGINEER
 PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
 GOPESHWAR
Dany

श्री जय प्रकाश शर्मा
 R.S. अधिकारी
 पंचायत समिति
 गाँवा दुडसावा
 जिला Dist

- आदेश -

3

जनपद चमोली के अन्तर्गत मासौं-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.768 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 36 हे० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप जिलाधिकारी चमोली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत मासौं-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.768 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम छुड़साल 40 वृ० कोट तहसील चमोली की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा० सं०-51 के खसरा सं०-1830 रकबा 0.796 हे०, खसरा सं०-2176 रकबा 0.628 हे०, खसरा सं०-2183 रकबा 1.620 हे०, खसरा सं०-2197 रकबा 1.492 हे० अर्थात् कुल 5.536 हे० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शा.ना.देश सं०-2173/XV/III(I) / 2013-18 (20) / 2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

AE
Self
15-12-16
15/12/16

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

(विनोद कुमार सुमन),

जिलाधिकारी,
चमोली।

संख्या: 1094/छबीस-10 (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक: 10 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

08/12/16
जिलाधिकारी,
चमोली।

NEFT RTGS CHALLAN

ORIGINAL COPY
CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

PUBLIC WORK
DEPARTMENT

113104342015407

UTTARANCHAL

PROVINCIAL
DIVISION Chamoli

5292894/-

Five Lakh Ninety-Two Thousand Eight
Rupees Only

to be made as per following

UTTARANCHAL CAMPA

CORP0000633

15089113104342015407

Corporation Bank
FCS Bangalore,

* Note : The proceeds of the
payment will be credited to
the respective CAMPA State
Account.

to be used for making
payment by NEFT/RTGS only

For making payment, User Agencies may send a line of confirmation through
corpbank.co.in

10-10-17
Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar



BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-09-2017

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	113104342015407
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	5292894/-

Amount in Words : Fifty-Two Lakh Ninety-Two Thousand Eight
Hundred and Ninety-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089113104342015407
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

* This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.

10-10-17
Executive Engineer
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar


15/09/2017 - 12-X-17


Handwritten notes at the bottom of the page, including a signature and the date '15/09/2017'.

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.768 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत मासौ-कफलखेत-दादर तक मोटर मार्ग के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION R.W.D.
B. GOPESHWAR
12/11/17


29-11-17
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

(12)

ANNEXURE

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 14/01/2015 at time 16.00hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 1.70 hecta for the construction of Construction of Mason-Kaphalkhet-Dadar Motor road. Under SCP. 6.00 Km forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 16/01/2015

लक्ष्मी देवी
बमरा

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli

सत्य प्रतिलिपि प्रामाणिक

29-11-17
अधिकासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
B. GOPESHWAR

13

**Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli**

No. :-

Dated :-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers, (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.047 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Mason-Kaphalkhet-Dadar Motor road, Under SCP, 6.00 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.70 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला मजिस्ट्रेट
चमोली

(District Magistrate Chamoli)

सत्य प्रति लिपि बनारस

DM FKA Letter

29-11-17
अधिसासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER,
PROVINCIAL DIVISION R.W.D.
GOPESHWAR

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड चमोली के मासो-कफलाखेत
दादर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
 उपखण्ड स्तरीय समिति, चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड चमोली
 जनपद चमोली के विकास खण्ड चमोली

में मासो-कफलाखेत-दादर मोटर
 मार्ग निर्माण हेतु 1.7 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान
 हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के
 अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 15/01/2015 की सम्पन्न बैठक की
 कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी
 एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा.
 सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1- श्री <u>अपवश कुमार सिंह</u> | उपजिलाधिकारी <u>चमोली</u> (सहायक) | सदस्य |
| 2- श्री <u>.....</u> | उप-प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>.....</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>रोशन लाल</u> | वी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप
 जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि
 जनपद चमोली के विकास खण्ड चमोली
 ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड चमोली के अन्तर्गत
मासो-कफलाखेत-दादर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु हे. वन
 भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम
 सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मानला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा
 सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप-प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत
 वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को
 स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी
 दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा
 अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति
 जारी की जाती है।

AKSBL
 उपजिलाधिकारी
 अध्यक्ष

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
 सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
 सदस्य/सचिव

रोशन
 वी.डी.सी. क्षेत्र
 सदस्य

सत्य प्रति लिखित प्रमाणित

29/11/17
 अधिशासी अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
 गोपेश्वर

EXECUTIVE ENGINEER
 PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
 GORESHWAR

परियोजना का नाम :

15

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति
प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत ~~अटल आदर्स~~ ^{रूपेशल कम्पोजेनट प्लान के अंतर्गत} ग्राम योजनान्तर्गत जनपद
चमोली के विकास खण्ड दशोली में अन्तर्गत प्रा.सो.
कफारवेत - पादर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1:7.0 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु .

..... हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 1:7.0 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.

GOPIESHWAR

हस्ताक्षर प्रधान

सत्य प्रति प्रति प्रमाणित
जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड दशोली (चमोली)


सत्य प्रति प्रति प्रमाणित

29-11-17
अधिशाली अभियन्ता
प्राचीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड दशोली (चमोली)
50
दिनांक

प्रपत्र -23.1

दि..... को ग्राम सभा मासे की बैठक सम्पन्न हुई
 बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्रं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विनोद लाल	
2	संतोष लाल	Sol
3	जादवीर	Jadveer
4	अजय कुमार	Ajay Kumar
5		Ajay Kumar
6	सविन्धन देवमन्य	Savindhan
7	सतेन्द्र सिंह	Sateendra
8	बिजय सिंह	Bijay Singh
9	हनुमान	Hanuman
10	पुष्पाराम	Pushpam
11	शरद कौशिक	Sharad Koushik
12	मनमोहन	Manmohan
13	रविन्द्र	Ravindra
14	चन्द	Chand
15	जयपाल लाल	Jaypal Lal
16	राजेश लाल	Rajesh Lal
17	पुष्पलाल	Pushpalal
18	सरदेव सिंह	Sardev Singh
<p>सत्य प्रवि लिमिटेड प्रमाणित</p> <p>29-11-17</p> <p>अधिकासी अभियन्ता</p> <p>प्राचीन खण्ड लो० नि० वि०</p> <p>गोपेश्वर</p>		
		<p>EXECUTIVE ENGINEER</p> <p>PROVINCIAL DIVISION P.W.D.</p> <p>GOPESHWAR</p>

Sol